न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी -- यशपाल आहूजा, R.A.S.
Camp - Burjwali

वादपत्र संख्या 26 / 2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

कालासिंह आत्मज श्री गुरबख्शसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गुरबख्शसिंह आत्मज श्री कृपालसिंह, खत्री सिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. भजनसिंह,
3. गुरबचनसिंह आत्मजन श्री गुरबख्शसिंह, खत्री सिख, चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर
4. श्रीमती सुखविन्द्रकौर आत्मजा श्री गुरबख्शसिंह धर्मपत्नी श्री इन्द्रजीतसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीमती अमरजीतकौर आत्मजा श्री गुरबख्शसिंह धर्मपत्नी श्री कुलविन्द्रकुमार, खत्री, धालेवाला हाल 148 ए गली नम्बर 18, गुरुनानक नगर, पटियाला
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा–श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा	(वादीगण)
श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से5)
पैरोकार राज	(प्रतिवादी–6)

दिनांक 23 मई, 2018

— निर्णय —

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/6 मुरब्बा नम्बर 36 में कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिता श्री गुरबख्शसिंह प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जो पैतृक सम्पत्ति है. जिसमें वादी, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 4 व 5 का वादीगण से बहुत स्नेह एवं लगाव है जिनके द्वारा अपना पैतृक हिस्से का मौखिक रूप से परित्याग किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त पैतृक सम्पत्ति का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के साथ घरू बंटवारा किया जाकर उल्लेखित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को बहिस्सा बराबर बराबर बांट दी गयी. जिस पर वादी एवं पतिवादी संख्या 2 व 3 बहिस्सा बराबर बराबर पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया कि जब भी वादीगण चाहेंगे, सहमति से विभाजन करवाकर उसके नाम पर उनके हिस्सा की कृषि भूमि दर्ज करवा देंगे. इसी विश्वास पर वादी द्वारा अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर काफी धन का व्यय करते हुऐ भारी मेहनत कर सुधार कार्य करवाये गये हैं कुछ दिन

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजि...
(फास्ट ट्रेक)

पूर्व वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से वादी के हिस्सा की कृषि भूमि उसके नाम पर दर्ज करवाने के लिये कई बार आग्रह किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करते हुऐ दिनांक 20 फरवरी, 2018 को वादी के हिस्सा की भूमि देने से इन्कार कर दिया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को हक व न्याय नहीं देना चाहता है उक्त स्थिति में, वादी उक्त पैतृक सम्पत्ति में से अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है. इसलिये वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. यही वाद हेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/6 मुरब्बा नम्बर 36 में कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि में से (हिस्सा की खातेदारी घोषणा करते हुऐ वादीगण के नाम पर पृथक खाता एवं लगान कायम करने का निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 5 एच.एच. की जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069, चक 5 एच.एच. के नामान्तरकरण संख्या 194 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 7 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आने के परिणामतः प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है.

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर एवं प्रतिवादी संख्या 5 के मुख्तयार आम द्वारा उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 23 अप्रेल, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादीगण की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की पहचान अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6342 3563 3552, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9956 0860 7682, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 9959 6777 4016, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6314 6647 8483, प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 5726 0060 9586 एवं प्रतिवादी संख्या 5 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 8193 2910 5359, श्रीमती अमरजीतकौर द्वारा निष्पादित मुख्तयारनामा आम दिनांक 28 दिसम्बर, 2017 एवं परिवार राशन कार्ड संख्या 200002637051 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 6 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– बुर्जवाली में दिनांक 23 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि वादी एवं प्रतिवादी गण का क्या सम्बन्ध है तथा वादी का प्रतिवादी संख्या 12 की भूमि के ¼ हिस्सा किस प्रकार निहित है. इस प्रकार वादपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब राज्यपक्ष के परिदृश्य विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से मुख्तयारआम द्वारा राजीनामा के समर्थन में प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनमें प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा अंकित किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 व 5 विवादित भूमि में से कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपने हिस्सा का परित्याग करती हैं. राजीनामा के अनुसार डिकी जारी की जाती है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है बल्कि वे पूर्ण रूप से सहमत है और राजीनामा के अनुसार निर्णय करवाना चाहती है.

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुये प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार प्रर वादपत्र डिकी किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

प्रस्तुत अभिलेख नामान्तरकरण संख्या 194 के अनुसार प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है तथा राजीनामा के समर्थन में प्रस्तुत पक्षकारान के पहचानपत्रों की चित्रित प्रतियों से पक्षकारान का सम्बन्ध प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी के भाई तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादी की सगी बहिनें होना स्थापित है. ऐसी स्थिति में, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार पक्षकारान राजीनामा में प्राप्त कृषि भूमि का विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

|| आदेश ||

अतः वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 20 मार्च, 2018 के अनुसार ही **वादी श्री कालासिंह, प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरबख्शसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 श्री भजनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्री गुरबचनसिंह को–** चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/6 मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल के लिये बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है. यथा डिकी जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– बुर्जवाली में आज दिनांक 23 मई, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक **कलक्टर (फास्ट ट्रेक)**
श्रीगंगानगर.
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी -- यशपाल आहूजा, R.A.S.

कालासिंह आत्मज श्री गुरबख्शसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गुरबख्शसिंह आत्मज श्री कृपालसिंह, खत्री सिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगगानगर
2. भजनसिंह,
3. गुरबचनसिंह आत्मजन श्री गुरबख्शसिंह, खत्री सिख, चक 2 एल.एल. तहसील व जिला श्रीगगानगर
4. श्रीमती सुखविन्द्रकौर आत्मजा श्री गुरबख्शसिंह धर्मपत्नी श्री इन्द्रजीतसिंह, खत्रीसिख, चक 2 एल.एल. धालेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. श्रीमती अमरजीतकौर आत्मजा श्री गुरबख्शसिंह धर्मपत्नी श्री कुलविन्द्रकुमार, खत्री, धालेवाला हाल 148 ए गली नम्बर 18, गुरूनानक नगर, पटियाला
6. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
7. पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा–श्रीगंगानगर.

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 26/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 4 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–5) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री कालासिंह, प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरबख्शसिंह, प्रतिवादी संख्या 2 श्री भजनसिंह एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्री गुरबचनसिंह को– चक 5 एच.एच. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 13/6 मुरब्बा नम्बर 36 की कुल 3.162 हैक्टर कृषि भूमि मय खाल के लिये बहिस्सा बराबर बराबर खातेदार घोषित किया जाता है.

वादी व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23 मई, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर